न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 96 / 2016

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 आशाराम उम्र 50 वर्ष पुत्र तुलछा जाति जाट निवासी ग्राम रूपपुरा तहसील धोद जिला सीकर

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 पार्वती देवी पत्नी मोटाराम।
2 श्रीमती कमला पुत्री मोटाराम।
3 श्रीमती लक्ष्मी पुत्री मोटाराम।
4 श्रीमती पूनम पुत्री मोटाराम।
5 जितेन्द्र पुत्र मोटाराम।
6 झाबर पुत्र मोटाराम।
7 सोनू पुत्र मोटाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि—ी

8 मोहित पुत्र मोटाराम समस्त जाति जाट निवासी ग्राम रूपपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

9 उप पंजियक महोदय धोद जिला सीकर।

10 तहसीलदार महोदय धोद जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
धोद मुख्यालय सीकर प्रकरण पार्वती देवी
बनाम आशा वगैरह टी.आई. संख्या
131/2007 निर्णय दिनांक09.07.2015

उपस्थित

1. श्री विजयसिंह तंवर अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांकः—23.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु0 सीकर द्वारा प्रार्थना पत्र 181/2014 में पारित निर्णय दिनांक 09.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण रेस्पोडेंटस के और से अनावेदक अपीलांट के विरूद्व विचारण न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 130,146,171,155 वाके ग्राम रूपपुरा तहसील सीकर के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया गया विचारण न्यायालय में जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया जिससे व्यथित कर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस अपीलांट सुनी गई रेस्पोडेंट अनुपस्थित रहे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने बिना सुनवाई किये बिना सूचना कैम्प में पत्रावली रखकर विचाराधीन निर्णय पारित किया है जो विधिक प्रकिया के विपरित है विवादित भूमि अपीलांटस की खातेदारी काश्तकारी की है अपीलांट काबिज है रेस्पोडेंट न तो खातेदार है और न ही काबिज है विचारण न्यायालय के समक्ष दावा व टी.आई. घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का था पत्रावली पर रेस्पोडेंट की खातेदारी व कब्जे की कोई साक्ष्य नही थे विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय में केवल मात्र मूल वाद बंटवारे का होना अंकित कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है जो केवल चार लाईन में आदेशिका पर दिया गया है यह निर्णय राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अपील निर्णय की जानकारी से अन्दर मियाद है धारा 5 का आवेदन पेश है अपने कथनों के समर्थन में राजस्व रिकार्ड एवं न्यायालयों के निर्णय की छाया प्रति प्रस्तुत कर अपील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

स्वीकार करने एवं विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश आदेशिका में केवल चार लाईनों में पारित किया गया है। जो निम्नानुसार है।

: पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई है पत्रावली का अवलोकन किया गया है। मूल वाद बंटवारे का है अत मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष कारों को अंकित भूमि की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखी जायें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफतर हो:

विचारण न्यायालय द्वारा उक्त पारित निर्णय आदेशिका पर पारित किया गया है इसमें उभयपक्ष को न तो सुना गया है न ही लोक अदालत में पत्रावली रखने के बारे में अपीलांट को सूचित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचन नही किया गया है न ही विवादित भूमि के खसरा नम्बर अंकित किये गये है न पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का कोई विवेचन किया गया ऐसा निर्णय राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के प्रावधानों के सर्वथा विपरित होने से विधि विरूद्व पाया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं वर वक्त बहस अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमि अपीलांट आशाराम एवं उनके पिता तुलच्छाराम के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है रेस्पोडेंटस आवेदकगण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है न ही रेस्पोडेंट के कब्जे का कोई साक्ष्य पत्रावली पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में साबित पाये जाते है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में रेस्पोडेंट के आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि रेस्पोडेंट का दावा केवल बंटवारे का नही होकर घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का भी है ऐसी स्थिति में भी विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में यह अंकित करना कि मूल वाद बंटवारे का है पूर्णतया गलत है अत विचारण न्यायालय के निर्णय का विधि सम्मत नही माना जासकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि रेस्पोडेंटस के पति एवं पिता मोटाराम ने इन्ही भूमियों के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के साथ अपील संख्या 19/1994 इस न्यायालय में प्रस्तुत की थी जो दिनांक 14.09.1995 के निर्णय से खारिज की गई है। जिसकी छाया प्रति अपीलांट ने वर वक्त बहस प्रस्तुत की है। इससे भी विवादित भूमियों पर प्रथम दृष्टया रेस्पोडेंट का कोई हक अधिकार साबित नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एंव विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/10/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर